INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

8022/23

Certificate No.	:	IN-UP73069472560901V
Certificate Issued Date	:	28-Jul-2023 05:07 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14100204/ FAIZABAD/ UP-FZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1410020433320448276329V
Purchased by	:	HOABL REALTECH PRIVATE LIMITED
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	VILLAGE- TIHURA MANJHA PARGANA- HAVELI AWADH TEHSIL-SADAR DISTRICT- AYODHYA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SANGAM LAL YADAV SO TILAKRAM AND OTHERS
Second Party	:	HOABL REALTECH PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By	:	HOABL REALTECH PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,04,300 (Three Lakh Four Thousand Three Hundred only)

E Stamp Verify

E Stamp LOCKED

(1)

संगम अमरजीत यादव वि. शांति देवी

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorized Signatory

PU 0005665496

उपरजिस्ट्रार सदर

(2)

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

विलेख का प्रकार - विक्रय पत्र




निष्पादन दिनांक-28/07/2023ई

स्थान- कलेक्ट्रेट परिसर सदर, अयोध्या ।

विक्रय मूल्य -4345880 /-(तैंतालीस लाख पैंतालीस हज़ार आठ सौ अस्सी रुपया)

मालियत - 2270000/- (बाईस लाख सत्तर हज़ार रुपया)

स्टाम्प - 304300/- (तीन लाख चार हजार तीन सौ रुपया)

1. भूमि की स्थिति– अर्द्धनगरीय
2. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि
3. मौजा- तिहुरा मांझा
4. परगना - हवेली अवध
5. तहसील – सदर
6. जनपद – अयोध्या
7. सम्पत्ति का विवरण:-खाता संख्या 279, गाटा संख्या-4अ/4(चार अ बटा चार)
8. गाटा संख्या का यूनीक आई.डी. नम्बर :- सर्वे के दौरान हैं।
9. मापन की ईकाई – हेक्टेयर
10. विक्रीत संपत्ति का क्षेत्रफल-0.1324 हेक्टेयर
    (जीरो दशमलव एक तीन दो चार हेक्टेयर)।

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorised Signatory

अमरजीत

रमेश

नि.शांति देवी

कार्यालय उपरजिस्ट्रार सदर जिला
सत्यमेव जयते

11. सड़क की स्थिति :- जनपदीय मार्ग ।
12. दो तरफ रास्ता :- हैं।
13. आच्छादित क्षेत्रफल :- नहीं है।
14. पेड़ो का मूल्यांकन - नहीं हैं।
15. बोरिंग / कुआँ / अन्य - नहीं हैं ।
16. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बंधित नहीं है।
17. विक्रीत सम्पत्ति के अंतरण से सम्बंधित किसी न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं हैं।
18. विक्रीत सम्पत्ति आवासीय गतिविधियां से सटी हैं।
19. विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं हैं।
20. विक्रीत भूमि नगर निगम क्षेत्र के बाहर है।
21. विक्रीत भूमि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अन्दर है।
22. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी मूल्यांकन सूची प्रभावी दिनांक 01.08.2017 के पृष्ठ 85 के ग्राम कोड- 1196 कॉलम - 4 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के पृष्ठ 3 के क्रम संख्या 12 के अनुसार उपरोक्त विक्रीत जायदाद की मालियत:-

उपरोक्त विक्रीत क्षेत्रफल 0.1324 हेक्टेयर की मालियत :-
=> 0.0500 हेक्टेयर यानी 500 वर्गमीटर x 2100 = 10,50,000/-
=> 0.0500 हेक्टेयर यानी 500 वर्गमीटर x 1050 = 5,25,000/-
=> 0.0324 हेक्टेयर यानी 324 वर्गमीटर x 525 = 1,70,100/-
कुल मालियत :- (1050000+525000+ 171000) + 30% = 2270000/-
स्टाम्प :- 304300/- स्टाम्प प्रतिफल पर अदा हैं।
ई स्टाम्प नम्बर IN-UP 730 69472560901V
जारी दिनांक :- 28/07/2023
विक्रीत जायदाद की चौहद्दी :-
पूरब - रास्ता इण्टर लाकिंग बादहू गाटा संख्या 4 का शेष भाग।
पश्चिम - गाटा संख्या 4 का शेष भाग प्रस्तावित योजना उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्।
उत्तर - गाटा संख्या 3 व प्रस्तावित सड़क बादहू बन्धा।
दक्षिण - गाटा संख्या 76 व गाटा संख्या 77 आदि बादहू चकमार्ग खडन्जा।

For HOABL Realtech Private Limited
Director / Authorized Signatory


अमरजीत पुत्र तिलकराम

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 28.07.2023 को अयोध्या, उत्तर प्रदेश में निष्पादित किया गया है।

द्वारा

हम,

1. संगम लाल यादव पुत्र श्री तिलकराम, जाति-अहीर, उम्र 43 वर्ष लगभग, आधार नं° XXXX 1365 5628, पैन नं° ABCPY8709R निवासी-कुलफत का पुरवा, तिहुरा मांझा, दर्शन नगर, तहसील सदर जनपद- अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224135

2. अमरजीत यादव पुत्र श्री तिलकराम, जाति- अहीर, उम्र 32 वर्ष लगभग, आधार नं° XXXX 0875 9425, पैन नं° ASDPY7970L निवासी-कुलफत का पुरवा, तिहुरा मांझा, दर्शन नगर, तहसील सदर जनपद- अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224135

3. रमेश यादव पुत्र श्री तिलकराम, जाति- अहीर, उम्र 28 वर्ष लगभग, आधार नं° XXXX 5588 2269, पैन नं° BMPPY2776R निवासी-कुलफत का पुरवा, तिहुरा मांझा, दर्शन नगर, तहसील सदर जनपद- अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224135

4. शांति देवी पत्नी श्री तिलकराम, जाति- अहीर, उम्र 63 वर्ष लगभग, आधार नं° XXXX 3910 6383, पैन नं° IDJPD8217C निवासी-कुलफत का पुरवा, तिहुरा मांझा, दर्शन नगर, तहसील सदर जनपद- अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224135

(उपरोक्त को **"विक्रेता"** या **"प्रथम पक्ष"** के नाम से संबोधित किया गया है, जिसमे उनके कानूनी हकदार, वारिसान, उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक एवं समनुदेशिती शामिल हैं।)

और

HOABL REALTECH PRIVATE LIMITED (पूर्व नाम PADMASIDDH REALTECH PRIVATE LIMITED) (CIN: U70109MH2021PTC357485, PAN: AALCP8809L) जो की भारतीय कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 3rd Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound N.M Joshi Marg, Mahalaxmi Mumbai City, Maharashtra- 400011 में स्थित है, द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री रामनंदनम पांडेय पुत्र श्री ओमप्रकाश पांडेय उम्र लगभग 51 वर्ष आधार नं° XXXX 0430 9117, निवासी 17/A/14, तक्षशीला एसएचजी सोसाइटी, महाकाली केवस रोड, अंधेरी पूर्व, चाकाला एमआईडीसी, मुंबई, महाराष्ट्र -400093 व हाल पता 168/11, प्लाट संख्या 121 सहादतगंज तहसील सदर, जनपद-अयोध्या-224001 जो उपरोक्त कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा पारित Board Resolution दिनांक 16.11.2022 द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत हैं (जिसको यहाँ के बाद **"क्रेता"** या **"द्वितीय पक्ष"** के नाम से संबोधित किया गया है जिसमे उनके उत्तराधिकारी, अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बंधित इकाई , समनुदेशिती एवं निर्देशक शामिल हैं।)

संगम अमरजीत रमेश नि. शांतिदेवी

For HOABL Realtech Private Limited
Director / Authorised Signatory

कार्यालय उपरजिस्ट्रार सदर

(विक्रेता व क्रेता को एक साथ **"पक्षों"** के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा व्यक्तिगत रूप से **"पक्ष"** कहकर सम्बोधित किया जाएगा।)

जो कि विक्रेता व क्रेता निम्नलिखित कथन का अभिवेदन करते है कि:

A. विक्रेता वर्तमान खतौनी फ़सली वर्ष 1389-94 के खाता संख्या 279 के खसरा संख्या 4अ/4 रकबा कुल 13 बीघा 15 बिस्वा (3.4790 हैक्टेयर लगभग) जो की ग्राम तिहुरा मांझा, परगना- हवेली अवध, तहसील- सदर, जनपद-अयोध्या में स्थित भूमि है, जिसकी चौहद्दी व निशानदेही संलग्न मानचित्रानुसार, जो कि **अनुसूची- 1** में 1/35 भाग संयुक्त रूप से अर्थात अंशानुसार क्षेत्रफल 0.1324 हैक्टेयर के कानूनी मालिक, स्वामी एवं मौके पर काबिज हैं व विक्रेता विधिवत रूप से वर्तमान खतौनी फ़सली वर्ष 1389-94 में उक्त भूमि के संबंध में बतौर संक्रमणीय भूमिधर विरासत के आधार पर मालिक, काबिज व दाखिल दर्ज हैं । उक्त भूमि सही ढंग से और उचित प्रकार से सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम से अभिलिखित एवं उत्प्रवर्तित है। उक्त भूमि में अंशों का विभाजन निम्न प्रकार से है:

क्रमांक	**विक्रेता का नाम**	**खसरा संख्या 4अ/4 रकबा कुल 13 बीघा 15 बिस्वा (3.4790 हैक्टेयर लगभग) में विक्रेता का अंश**	**उक्त खसरा में विक्रेता का अंशानुसार क्षेत्रफल (हैक्टेयर)**	**विक्रेता के अंशानुसार क्षेत्रफल में से बिक्रीत क्षेत्रफल (हैक्टेयर) (X)**
1.	संगम लाल यादव पुत्र श्री तिलकराम	1/105	0.0331	0.0331
2	अमरजीत यादव पुत्र श्री तिलकराम	1/105	0.0331	0.0331
3	रमेश यादव पुत्र श्री तिलकराम	1/105	0.0331	0.0331
4	शांति देवी पत्नी श्री तिलकराम	1/105	0.0331	0.0331
कुल विक्रीत भूमि (X) 0.1324 हैक्टेयर (जिसे आगे **"विषयक भूमि"** कह कर संबोधित किया गया है)				

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorized Signatory

अमरजीत रमेश नि.शांति देवी

उपरजिस्ट्रार सदर जिला

B. विक्रेता विषयक भूमि के पूर्णत: मालिक, काबिज व दाखिल हैं तथा उनके पास विषयक भूमि पर स्पष्ट एवं विक्रय योग्य स्वामित्व है। उनके पास विषयक भूमि का पूर्ण और अप्रतिबंधित हक़, स्वामित्व और अधिकार है और यह कि किसी भी व्यक्ति का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हक़, स्वामित्व, अधिकार, दावा, दखल या सम्बन्ध नहीं है। विक्रेता को क्रेता पक्ष में विषयक भूमि या उसके किसी भी भाग के मालिकाना हक़, स्वामित्व, अधिकार और कब्ज़ा अधिकार देने, नाम करने और विक्रय के लिए योग्य बनाते है। विक्रेता के अलावा किसी और व्यक्ति का विषयक भूमि के संबंध में कोई हक़, स्वामित्व और अधिकार अस्तित्व में नहीं है और विषयक भूमि हर प्रकार के भार, रहन और कानूनी कार्यवाही से मुक्त है।

C. विषयक भूमि/ गाटा संख्या महायोजना में प्रस्तावित उपयोग पार्क, हरित पट्टिका आदि सार्वजनिक महत्त्व के प्रकृति का नहीं है | विषयक भूमि किसी भी प्रकार के अधिग्रहण से मुक्त है व जिसका क्रय-विक्रय पत्र संख्या 349/Y-08/22 दिनांक 17.04.2023 निर्गत द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, अयोध्या-01, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद; से अनुमन्य है और आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित योजना की सीमा से बाहर है।

D. विक्रेता द्वारा दी गई विभिन्न प्रस्तुति, आश्वासनों और विश्वास के आधार पर, क्रेता विषयक भूमि को क्रय करने और विक्रेता विषयक भूमि में अपने सभी हक व हकूक, अधिकारों और स्वामित्व के विशेषाधिकारों आदि सहित क्रेता को कुल विक्रय प्रतिफल मुबलिग 43,45,880/- रूपये (तैंतालीस लाख पैंतालीस हज़ार आठ सौ अस्सी रूपये केवल), जो कि लागू देय टीडीएस की राशि काटने के उपरान्त अदा की गयी है, (जिसे आगे **"विक्रय प्रतिफल"** कह कर संबोधित किया गया है) में विक्रय करने, हस्तांतरित करने और देने के लिये सहमत हैं।

E. क्रेता ने विक्रेता को विषयक भूमि के प्रस्तुत विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण एवं क्रेता को विषयक भूमि खाली, कानूनी, और शांतिपूर्ण कब्ज़ा मिलने के एवज विक्रेता को विक्रय प्रतिफल के रूप में अदा करना स्वीकार किया है।

अब इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रेता और क्रेता को निम्न प्रकार से बाध्य किया जाता है:

1. विक्रेता अपनी खुशी व रजामंदी, शुद्ध बुद्धि, समस्त स्वस्थ इंद्रियों की दशा में बिना किसी बहकावे व धमकावे व दबाव से प्रभावित होते हुए अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबीजाना, दाखिल-खारिजी, काश्त कतई, हर किस्म कब्जा इस विक्रय विलेख के माध्यम से, विषयक भूमि को हमेशा और हमेशा के लिए विक्रय प्रतिफल के बदले क्रेता उपरोक्त को विक्रय कतई करते हैं और यह घोषित करते हैं कि विषयक भूमि पर विक्रेता अपना संपूर्ण स्वामित्व एवं जो भी सुखाधिकार, हकदारी, सम्पदा, उत्तराधिकार, संबंधित चीजें, विषयक भूमि से जुड़े लाभ, स्थायी रूप से उससे जुड़ी या उस पर स्थित चीजें आज दिनांक तक जो किसी भी देनदारियों, भारों,

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorized Signatory

अमरजीत रमेश

नि. शांति देवी

उपरजिस्ट्रार सदर जिला

ग्रहणाधिकारों, दावों, प्रभारों या किसी भी प्रकार की बाधाओं आदि से मुक्त है, उक्त सभी अधिकारों को विक्रेता द्वारा क्रेता को इस विक्रय विलेख के माध्यम से अंतरित करते हैं। यह कि विक्रेता ने आज विषयक भूमि का खाली एवं भौतिक कब्जा क्रेता को प्रदान कर दिया है और क्रेता को आश्वस्त करते हैं कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की आपत्ति या दावा के फलस्वरूप विषयक भूमि या उसका कोई भाग क्रेता के स्वामित्व से बाहर हो जाता है तो विक्रेता स्वयं या उनके बाद उनके वारिसान उस हिस्से की लागत सहित नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

विक्रय विलेख के निष्पादन के साथ ही विषयक भूमि पर से विक्रेता के समस्त स्वामित्व, अधिकार, आधिपत्य, हित, दावे आदि समाप्त होते हैं और क्रेता को उक्त भूमि पर विक्रेता के स्थान पर समस्त स्वामित्व,आधिपत्य, हित एवं अधिकार प्राप्त होते हैं तथा क्रेता उक्त संपत्ति का पूर्ण स्वामी होकर बिना किसी हस्तक्षेप एवं रुकावट के विषयक भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतंत्र रहेगा और किसी अन्य को उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

2. विषयक भूमि व इसके साथ सभी सुविधाओं, हकों, विशेषाधिकारों और लाभों को क्रय करने के लिए क्रेता द्वारा विक्रेता को कुल विक्रय प्रतिफल मुबलिग 43,45,880/- रूपये (तैंतालीस लाख पैंतालीस हज़ार आठ सौ अस्सी रूपये केवल), महोदय उप-निबन्धक, सदर, जनपद - अयोध्या के सामने निम्न प्रकार से अदा किया गया है और विक्रय प्रतिफल की समस्त धनराशि हम विक्रेता ने विवरण वसूलयाबी **अनुसूची- 2** के अनुसार वसूल पा लिए हैं और अब कुछ भी बकाया नहीं रहा है।

3. विक्रेता द्वारा क्रेता को हर प्रकार के भार, अभियोजन और ग्रहण अधिकार से मुक्त, विषयक भूमि व उसके सभी अंगो व भागो के साथ, विक्रेता के सम्पूर्ण अधिकार, स्वामित्व व हकों सहित विक्रय, अधिकार दान, अभिहस्तारण और अभ्यपूर्ण, हमेशा के लिए सम्पूर्ण रूप से विक्रय कर दिया है और इस विक्रय विलेख के निष्पादन और पंजीकरण के साथ ही क्रेता को उक्त विषयक भूमि, जो अनुसूची-1 में संलग्न मानचित्रानुसार विक्रेता के स्वामित्व की तिथि से सिर्फ विक्रेता के कब्जे में है; उसका खाली, वास्तविक, कानूनी और शांतिपूर्ण कब्ज़ा क्रेता को दे दिया है।

4. विक्रेता यह पुष्टि करते हैं कि विषयक भूमि के सम्बन्ध में सभी तरह की अदायगी, मालगुजारी, देय राशि, सरकारी कर और देनदारियां कोई कर/टैक्स, तकाज़ा, बैंक लोन, बिजली बिल, पानी बिल, सीवर बिल आदि - आदि, जो देय हैं, इस विक्रय विलेख के निष्पादन और पंजीकरण की तारीख तक अदा कर दी गई है और यदि इससे सम्बंधित प्राधिकरणों, निजी, सरकारी या अर्द्ध-सरकारी इकाई या राज्य/ केंद्र सरकार के द्वारा कोई मांग आती है तो वह विक्रेता द्वारा ही अदा की जायेगी। विक्रय विलेख के निष्पादन की तारीख तक विषयक भूमि को लेकर यदि कोई दावा, देनदारी या कोई मांग की जाती है या उसकी स्थिति पैदा होती है तो विक्रेता क्रेता की क्षतिपूर्ति करेंगे। विक्रेता

For HO[illegible] Limited

Director / Au[illegible]ory

संजय अमरजीत रमेश

नि. शांति देवी


उपरजिस्ट्रार सहकारी

द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है, और विक्रेता यह पुष्टि करते हैं कि विक्रेता के पास विषयक भूमि पर कोई अवैतनिक धारणाधिकार नहीं होगा।

5. विक्रेता क्रेता के अनुरोध और खर्च पर सम्बंधित विभागों में क्रेता के पक्ष में दाखिल खारिज और कब्जे में परिवर्तन, विषयक भूमि की निशानदेही / पैमाईश सम्बन्धी प्रविष्टि को दर्ज करने के लिए सभी कार्य, प्रलेख, और दस्तावेज, जो आवश्यक हों, का निष्पादन करेगा।

6. इस विक्रय विलेख में उपरोक्त वर्णित प्रस्तुति और आश्वासनों के अलावा, विक्रेता प्रस्तुति करता है और आश्वासन देता है कि:

i) विक्रेता विषयक भूमि के सम्पूर्ण और कानूनी मालिक हैं और उस पर उनका स्पष्ट एवं विक्रययोग्य स्वामित्व है और यह कि विषयक भूमि किसी भी तरह के भार / आड़ रहन, स्वामित्व/कब्जा संबंधी वाद एवं अन्य हर प्रकार के कानूनी कार्यवाही से मुक्त है।

ii) विक्रेता का विषयक भूमि पर सम्पूर्ण अधिकार व कब्ज़ा है और वह क्रेता के पक्ष में विषयक भूमि को बेचने और हस्तांतरण के लिए पूर्णत: हकदार हैं और जिसके लिए सारी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर चुके हैं, और कोई कानूनी बाधा, अवरोध या किसी अन्य अनुमति कि आवश्यकता नहीं है, जिसके तहत विक्रेता को इस विक्रय विलेख को निष्पादित करने से रोका जा सके।

iii) विक्रेता घोषणा और प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे उत्तर प्रदेश राज्य के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आदिवासी श्रेणी व अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं और न ही उन्होने विषयक भूमि के स्वामित्व को किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से प्राप्त किया है। और ना ही विषयक भूमि को विक्रय करने हेतु उन्हें किसी भी सक्षम प्राधिकारी या सरकारी अनुभाग से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि भविष्य में विक्रेता का यह कथन असत्य पाया जाता है और उसके कारण उक्त सम्पत्ति से क्रेता बेदखल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता इस विक्रय विलेख के निष्पादन की तारीख से, क्रेता द्वारा अदा की गयी विक्रय प्रतिफल की राशि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लागू MCLR +2 प्रतिशत ब्याज के साथ, क्रेता को भुगतान करने के जिम्मेदार होंगे ।

iv) इस विक्रय विलेख को किसी भी सक्षम प्राधिकारी, न्यायालय, प्राधिकरण या किसी भी अन्य प्राधिकारी या सरकारी अनुभाग या विभाग या राज्य / केंद्र सरकार द्वारा किसी भी कारण से बातिल और शून्य घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता इस विक्रय विलेख के निष्पादन की तारीख से विक्रय प्रतिफल की राशि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लागू MCLR +2 प्रतिशत ब्याज के साथ, क्रेता को भुगतान करने के जिम्मेदार होंगे ।

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorised Signatory

अमरजीत सोरा

नि. शांति देवी

उपनिबन्धक सदर जिला
उत्तर प्रदेश

v) क्रेता विषयक भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग, उपभोग करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा और विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति या उसके उपयोग एवं उपभोग पर क्रेता को हस्तक्षेप वा आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं होगा।

vi) विक्रेता घोषणा करता है कि क्रेता द्वारा विषयक भूमि के हस्तांतरण में कोई कानूनी बाधा या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। विषयक भूमि (या उसका कोई भाग) किसी वाद, विवाद, दावे, मुकदमेबाजी या अदालती कार्यवाही (सिविल या आपराधिक) (अपील या अन्यथा), अतिक्रमण, वाद लंबित, विभाजन के आधीन नहीं है और न ही कोई विवाद लंबित है जो विषयक भूमि के लिए विक्रेता के मालिकाना हक़ / टाइटल पर आपत्ति करता है और इसे किसी भी अदालत या अन्य सिविल या राजस्व या अन्य कार्यवाही में संलग्न या बेचा या बेचने की मांग नहीं की जाती है और अदालत की कार्यवाही द्वारा किसी भी कुर्की के अधीन नहीं है या विषयक भूमि के संबंध में कोई प्रतिकूल निर्णय, निषेधाज्ञा या कुर्की, अदालत के आदेश और/या अधिग्रहण लंबित नहीं हैं और न ही विक्रेता के खिलाफ कोई निषेधात्मक आदेश जारी किया गया है, जो उन्हे विषयक भूमि (या उसका कोई हिस्सा) बेचने, स्थानांतरित करने और/ या अलग करने से रोकता है।

vii) विषयक भूमि के सम्बन्ध में कोई भी मुकदमेबाजी न तो लंबित है और न ही उसकी कोई आशंका, सूचना या जानकारी विक्रेता को है , जो विषयक भूमि में या उसके किसी भाग में विक्रेता के अधिकार, स्वामित्व और हक़ को प्रभावित करती हो।

viii) विषयक भूमि की विक्रेता ने आज से पहले किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कोई इकरारनामा, बैयनामा, रहननामा, पट्टानामा, तबादलानामा, हिब्बानामा नहीं किया हुआ है और ना ही इस सम्बन्ध में कोई वसीयतनामा या दस्तरबरदारी, हकूक मिल्कियत निष्पादित किया हुआ है; ना ही उक्त भूमि सरकार द्वारा घोषित किसी भी अधिग्रहण प्रक्रिया का हिस्सा है; ना ही विषयक भूमि के सम्बन्ध में कोई पारिवारिक समझौता किया गया है और ना ही आज के बाद करेंगे। विषयक भूमि पर प्रथम पक्ष कब्ज़ा वाकई देने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं ।

ix) विक्रेता घोषणा और प्रतिनिधित्व करते हैं कि विषयक भूमि का कोई भी हिस्सा बिक्री के लिए मौजूदा अनुबंध/ विलेख या उसमें किसी भी हित के अन्य स्वभाव से प्रभावित नहीं है। विषयक भूमि की बिक्री, विकास या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ किसी भी हिस्से में बिक्री, विकास या विक्रय करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और न ही कोई मौजूदा मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) या कोई अन्य प्राधिकार, मौखिक या अन्यथा विषयक

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorised Signatory

अमरजीत रसेरा

नि. शांति देवी

उपरजिस्ट्रार सदर

भूमि के किसी भी हिस्से से किसी भी तरह से निपटने के लिए किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को सशक्त नहीं बनाया है और आइन्दा नहीं बनाएँगे ।

x) विक्रेता द्वारा विक्रय भूमि/ विषयक भूमि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 अथवा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (तथा संशोधित अधिनियम, 1972) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती है|

xi) विक्रेता घोषित एवं प्रतिनिधित्व करते हैं कि विषयक भूमि या उसके किसी हिस्से पर कोई कब्रिस्तान, समाधि, मजार, मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा या धार्मिक स्थल नहीं है। विषयक भूमि का कोई भी हिस्सा मौखिक रूप से या लिखित रूप में धार्मिक या धर्मार्थ उपयोग के लिए समर्पित नहीं है या पूजा या धार्मिक स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है।

xii) विषयक भूमि पर या उसके किसी हिस्से पर कोई आदिवासी भूमि, वन, जल श्रोत, चैनल, सड़क, रास्ता, राजस्व रास्ता, विनियमन / संरक्षण क्षेत्र, आरक्षण, रेलवे लाइन, हाई टेंशन तार या अन्य कोई बाधा या रोक नहीं है ।

xiii) विक्रेता घोषणा और प्रतिनिधित्व करते हैं कि विषयक भूमि विक्रेता के स्वामित्व और अधिकार की संपत्ति है और विषयक भूमि सरकार द्वारा पट्टे और भूमि के अनुदान पर प्राप्त भूमि / संपत्ति की नहीं है और यह वन भूमि, सौंपी गई भूमि, इनाम द्वारा दी गयी भूमि, आदिवासी भूमि, जमींदारी भूमि, सरकारी भूमि, भूमिहीन गरीब लोगों को आवंटित भूमि, आदिवासियों या वक्फ भूमि नहीं है और विषयक भूमि पर कोई किरायेदार नहीं है और विषयक भूमि भूमि सीमा और/या किसी अन्य लागू कानूनों का उल्लंघन में नहीं रखी गई है । इस विक्रय विलेख से न तो शासन के किसी नियम एवं उपनियम का उल्लंघन होता है। विषयक भूमि का कोई भी हिस्सा प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और/या महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत शामिल नहीं है।

xiv) विक्रेता और क्रेता इस बात से सहमत हैं कि इस विक्रय विलेख के निष्पादन पर, वे एक साथ इस विक्रय विलेख को पंजीकृत करवाएंगे । इस विक्रय विलेख के पंजीकरण के तुरंत बाद, क्रेता इस विक्रय विलेख के आधार पर अपने नाम को दर्शाने के लिए राजस्व अभिलेखों में विषयक भूमि की बिक्री को अद्यतन करने के लिए नामांतरण के लिए आवेदन करेगा। विक्रेता बिना किसी विलंब, अवरोध और/या आपत्ति के निष्पादन और ऐसे दाखिल-खारिज (म्युटेशन) को सक्षम करने के लिए दस्तावेज़ प्रदान करने में क्रेता के साथ सहायता और सहयोग करेगा।

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorised Signatory

अमरजीत रमेश

नि. शांति देवी

xv) विक्रेता पुष्टि करते हैं कि क्रेता इस विक्रय विलेख के आधार पर और विक्रेता से कोई अन्य सहमति या स्वीकृति पत्र लिए बिना, विषयक भूमि को समस्त सरकारी, राजस्व अभिलेखों और अन्य अभिलेखों में अपने नाम पर स्वामी के रूप में स्थानांतरित कर सकता है और वह करों, और आइन्दा लागू शुल्क का भुगतान करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार वह उपयोग और उपभोग कर सकता है या बेच सकता है, दान कर सकता है, निवास या विकास कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित कर सकता है । इस संबंध में विक्रेता और उनके किसी भी उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में होगी।

xvi) विषयक भूमि और उसके सभी भाग हर प्रकार के भार, विक्रय, हस्तांतरण, उपहार, रहन, किरायेदारी, लाइसेन्स, ट्रस्ट, अदला- बदली, पट्टा, गारंटी, अनुप्राणसंगी, मुख्तारनामा, security, वसीयत, किसी तीसरे पक्ष द्वारा अतिक्रमण या व्यवस्थित कब्जे, जमानत, कानूनी दोष, दावे, पूर्व विक्रय करार, ऋण, धरोहर, ग्रहणाधिकार, न्यायालय स्थगन, कानूनी अड़चन, स्थगनादेश, नोटिस, आरोप, विवाद, अधिग्रहण, किसी न्यायालय के फैसले में कुक्री, बन्धक, आय कर या विषयक भूमि कर या किसी अन्य पंजीकृत या अपंजीकृत भार से मुक्त है।

xvii) विषयक भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया गया है और किसी भी समय (भूतकाल और वर्तमान में) विषयक भूमि के उपर किसी निर्माण / अवनिर्माण / विध्वंस को लेकर और ना ही किसी अर्जन / निर्माण / विकास को लेकर किसी भी प्रकार का ना ही कोई नोटिस, दंड शुल्क (पेनाल्टी) है व ना ही कोई कार्यवाही की गई है और ना ही ऐसा कोई त्रुटी वर्त्तमान में चल रही है और ना ही इसकी कोई आशंका है।

xviii) विक्रेता के पक्ष में विषयक भूमि के हक़ से संबंधित सभी दस्तावेज सही और वास्तविक हैं और विक्रेता उनके सही होने कि पुष्टि करते हैं ।

xix) विषयक भूमि का विवरण पूर्ण रूप से सही और यथार्थ है और किसी प्रकार से भ्रामक नहीं है।

xx) विक्रेता की सभी प्रस्तुति और आश्वासन इस विक्रय प्रलेख के निष्पादन की तारीख तक सही है और इसके पश्चात भी सही रहेंगी। प्रत्येक प्रस्तुति और आश्वासन का किसी भी अन्य सूचना या आश्वासन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात:

a. विषयक भूमि के बाजार योग्य अधिकार /टाइटल में और शांतिपूर्ण कब्जे में त्रुटि या दोष के कारण,

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorised Signatory

अमरजीत इसेरा

नि. शांति देवी

b. विक्रेता या क्रेता पर विषयक भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के लंबित या प्रत्याशित कानूनी, अर्द्ध- कानूनी, प्रशासनिक, दावे, नोटिस, मुक़दमे बाजी, मध्यस्थता, गार्निश, सुलह, गैर-कानूनी या अन्य कार्यवाही के कारण,

c. इस विक्रय विलेख में दिये गये किसी भी सूचनाओं या आश्वासनों और प्रत्याभूतियों एवं अन्य नियमो और शर्तो के गलत, अस्तेय और या किसी भी प्रकार से भटकने व बहकाने वाला पाये जाने के कारण,

d. वर्तमान/ पूर्ववर्ती खतौनियों में किसी लिपकीय त्रुटि के कारण वर्तमान गाटा/खसरा संख्या के उपविभाजन, क्षेत्रफल आदि में त्रुटि की दशा में,

e. इस विक्रय विलेख के तहत विक्रेता के कर्तव्यों, वचनो और उपक्रमों का, किसी भी समय व किसी भी प्रकार से, उल्लंघन किये जाने के कारण, अथवा विषयक भूमि के सम्बन्ध में किसी भी समय कोई कार्य होने या न किए जाने के कारण,

f. विक्रेता के द्वारा किसी भी तथ्य, दस्तावेज या सूचना को छुपाये/दबाने/गुप्त/क्रेता को न बताने के कारण, या

g. विक्रेता का विषयक भूमि के टाइटल दस्तावेज (भूतकाल या वर्त्तमान) का वास्तविक (ओरिजनल) क्रेता को न दिये जाने के कारण।

7. विक्रेता इस विलेख के माध्यम से क्रेता को आश्वस्त करते हैं कि विषयक भूमि पर विक्रेता के पास किसी भी प्रकार का कोई हक़ / टाइटल, आधिपत्य, दावा एवं हित या कोई अधिकार नहीं होगा जो किसी भी अवयस्क बच्चे, नाती-पोते या कोई भी अन्य व्यक्ति को निहित होगा। अगर भविष्य में विक्रेता या उनके कोई वारिसान यह दावा करते हैं कि विक्रेता के स्वामित्व का कोई अंश इस विक्रय विलेख द्वारा निष्पादित नहीं हुआ या निष्पादित होने से बच गया है तो उसको ऐसा दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। विक्रेता के बताए गए हिस्से के अनुसार यह विक्रय विलेख बनाया गया है और वे वचन देते हैं कि आज के बाद विक्रेता बिक्रित खसरे में अंश-निर्धारण को ले कर कोई वाद -विवाद नहीं करेंगे । इस विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रेता यह वचन देते हैं कि वे उल्लिखित खसरे में से वह अपना समस्त एवं सम्पूर्ण भाग / हिस्सा एवं समस्त मालिकाना हक़ को अनंतकाल तक क्रेता को विक्रय, हस्तांतरण एवं इस विक्रय विलेख द्वारा क्रेता के हक़ में त्याग चुके हैं । इस संबंध में विषयक भूमि का वर्णन इस कथन के प्रकाश में किया जाना मान्य रहेगा।

8. इस विक्रय विलेख से संबंधित सभी व्यय जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और आकस्मिक/ अन्य व्यय पूरी तरह से क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। किसी भी संदेह से बचने के लिए, विक्रेता

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorized Signatory

अमरजीत खेरा

नि. शांति देवी

उपनिबंधक सवर जिला-अयोध्या
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

बकाया स्टांप शुल्क और देय राशियाँ जो इस विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व की अवधि के लिए देय हैं उसके लिए या उससे सम्बंधित किसी भी दावे के प्रति विक्रेता ही जिम्मेदार होंगे और बने रहेंगे और ऐसे दावों (किसी दंड सहित) का भुगतान और निपटान विक्रेता द्वारा पूर्ण रूप से किया जाएगा तथा इस संबंध में विक्रेता क्रेता को क्षतिपूर्ति करेगा और हानि-रहित रखेगा।

9. यदि इस विक्रय विलेख की किसी भी शर्त या खंड को किसी भी कारण से अमान्य माना जाएगा, तो इस तरह की अमान्यता इस विक्रय विलेख की किसी अन्य शर्त या खंड की वैधता या संचालन को प्रभावित नहीं करेगी और इस तरह की अमान्य शर्त, खंड को इस विक्रय विलेख से हटा दिया गया है माना जाएगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विक्रय विलेख के किसी भी प्रावधान (प्रावधानों) की अप्रवर्तनीयता, अमान्यता या अवैधता इस विक्रय विलेख के अन्य प्रावधानों को अप्रवर्तनीय, अमान्य या अवैध के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगी।

10. यह कि यदि विषयक भूमि के विक्रय प्रतिफल के भुगतान के पश्चात यह प्रकरण होता है कि विक्रेता निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार विक्रय प्रतिफल कि सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के अन्य रूप से हकदार नहीं हैं और क्रेता कि ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो विक्रेता द्वारा एसी धनराशि जो क्रेता द्वारा अवधारित की जाये, मांग किए जाने पर वापस कर देगा, और किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रेता को (संयुक्त और पृथक: रूप से) क्षतिपूर्ति करेंगे और उठाई गयी किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण, क्रेता द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लागू MCLR +2 प्रतिशत ब्याज के साथ, क्रेता को भुगतान करने के जिम्मेदार होंगे ।

11. यदि इस विक्रय विलेख के तहत नियमों, शर्तों और वचनों और/ या उपकरमों अभ्यावेदन और वारंटियों या किसी भी अभ्यावेदन वारंटियों के मामले में विक्रेता का बयान इस विक्रय विलेख के तहत गलत पाये जाते हैं तो विक्रेता (संयुक्त और पृथक: रूप से), इस विक्रय विलेख में वर्णित क्रेता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क्रेता को कानून और इक्विटि के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार और उपचार और उसके निवेशकों, अधिकारियों, प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होते हैं । विक्रेता (संयुक्त और पृथक: रूप से) क्रेता को किसी भी या सभी कार्यों, मुकदमों, निर्णय, पूर्वाभास, कार्यवाही, गलत-बयानी, दावों, मांगों, देनदारियों, नुकसान, लागतों और खर्चों के प्रति रक्षा / निपटान की लागत सहित और अधिवक्तायों की फीस या किसी के उल्लंघन के संबंध में या क्षतिग्रस्त पार्टी के खिलाफ, ली गयी या मांगी जा सकती है, से हानि-रहित रखेंगे ।

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorized Signatory

अमरजीत रमेश

नि. शांति देवी

कार्यालय उपरजिस्ट्रार सदर जिला-
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

इस विक्रय विलेख के तहत विक्रेता की देयता क्रेता के स्वामित्व या कॉर्पोरेट अस्तित्व या रचना या किसी अन्य समान या परिवर्तन या इसके समापन या इसके अवशोषण विलय या किसी अन्य कंपनी का या किसी अन्य कंपनी द्वारा प्रबंधन की अधिग्रहण / निगम के साथ समामेलन आदि में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

12. इस विक्रय विलेख के निबंधनों, शर्तों, प्रसंविदा, और/या प्रावधानों को लागू करने में पक्षकारों द्वारा दर्शायी गई किसी भी प्रकार की देरी या सहनशीलता, अन्य पक्षकार को समय देना नहीं माना/समझा जाएगा, इस विक्रय विलेख के किसी भी निबंधन, शर्तों, प्रसंविदा, शर्तों और/या प्रावधानों के ऐसे पक्षकार द्वारा किये गए किसी भी तरह के भंग, उल्लंघन, गैर-निष्पादन या गैर-अनुपालन को ऐसे पक्ष की ओर से छूट या स्वीकृति के रूप में, और न ही ऐसे निबंधन या शर्त को

भविष्य के लिए छूट या त्याग के रूप में माना जाएगा, और भंग, उल्लंघन, गैर-निष्पादन या गैर-अनुपालन किये गए निबंधनों, शर्तों, प्रसंविदा और/या प्रावधानों का प्रवर्तन जारी रहेगा और पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगा, और न ही किसी भी तरह से पक्षकार के कानूनी अधिकारों/उपायों को प्रभावित करेगा।

13. इस विक्रय विलेख के सभी अभिवेदन एवं अनुसूची इस विक्रय विलेख का अभिन्न अंग/ हिस्सा समझे जाएंगे।

14. यह विक्रय विलेख इसमें निहित मामलों के संबंध में पक्षकारों की संपूर्ण समझ व समझौता का अभिलेख करता है; और इसके तहत शामिल किए गए सभी शर्त, प्रसंविदा, और/या प्रावधान पूर्व में की गयी किसी भी मौखिक या लिखित समझ, समझौता, वादे या अभ्यावेदन को अधिलंघित और रद्द करता है।

15. यह कि दोनों पक्षों ने इस दस्तावेज को अपनी भाषा में भली भाँती पढ़, सुन व समझ लिया है। इस बारे में दोनों पक्षों को कोई संदेह, शंका व भ्रम नहीं है, और इसकी सभी शर्तों से सहमत हैं और अपने पूर्ण होशो-हवास व इच्छा से इस दस्तावेज को निष्पादित करते है। अतः दोनों पक्षों ने खूब सोच-समझकर, बिना किसी बहकाव व धमकाव के, अपनी पूर्ण इच्छा से, स्वस्थ मस्तिष्क, इन्द्रियों की स्वस्थ एवं चेतन अवस्था में यह विक्रय विलेख लिख दिया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आये।

16. यह विक्रय विलेख लागू भारतीय कानूनों के प्रावधानों के अधीन संचालित किया जाएगा और कोई भी वाद या मुकदमा जो कि इस विक्रय विलेख के संबंध में उत्पन्न होगा, तो उसका निपटारा उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायालयों की विशेष न्याय सीमा के अंतर्गत किया जाएगा।

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorised Signatory

अमरजीत रमेश

नि.शांतिदे

कमीशन पुष्टि विलेख - धारा-52

आवेदन सं०: 202300905010851

विक्रय पत्र

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 8022 वर्ष: 2023

प्रतिफल- 4345880 स्टाम्प शुल्क- 304300 बाजारी मूल्य - 2270000 पंजीकरण शुल्क - 43460 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 : 43560

प्रार्थना पत्र कमीशन दिनांक द्वारा
श्री, एच ओ ए बी एल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
रामनंदनम पांडेय अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
के क्रम में
मै उप निबंधक : राधेश्याम ...प्रभारी...
जनपद : सदर अयोध्या

श्री, एच ओ ए बी एल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
रामनंदनम पांडेय अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
पुत्र श्री ओमप्रकाश पांडेय
व्यवसाय : नौकरी
निवासी : 17/ए/14 तक्षशिला एसएचजी सोसाइटी मुंबई महाराष्ट्र व प्लॉट संख्या 121 सहादतगंज अयोध्या

श्री, एच ओ ए बी एल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रामनंदनम पांडेय अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
पर उपस्थित हुआ। उक्त श्री एच ओ ए बी एल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रामनंदनम पांडेय अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनि द्वारा यह लेखपत्र निबंधन हेतु मेरे समक्ष
समय 28/07/2023 एवं 08:43:31 PM बजे उक्त निवास/अन्य स्थान पर प्रस्तुत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्त

राधेश्याम ...प्रभारी...
उप निबंधक :सदर
अयोध्या

28/07/2023

निबंधक लिपिक
मस्तराम गुप्ता ...

प्रिंट करें

अतः उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप विक्रेता एवं क्रेता इस विक्रय विलेख को पढ़कर, पढ़वाकर, समझकर सही होना पाकर बिना किसी डर व दबाव के दो गवाहों के समक्ष आज दिनांक [•] को अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर रहे हैं , ताकि सनद रहे एवं जरूरत के वक्त पर काम आये ।

(विक्रेता)

(क्रेता)

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorized Signatory

गवाह नम्बर 1:

मो. कलाम

मोहम्मद कलाम
पुत्र मोहम्मद इस्लाम
निवासी पावर हाउस के सामने- निमैचा
सल्हेपुर, निमैच, तहसील- , सोहावल अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224188
आधार न. XXXX 7706 4541
मो. न. -9004533213

गवाह नम्बर 2:

शिवपूजन

शिव पूजन यादव
पुत्र राम छबीले यादव
निवासी तिहुरा मांझा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224001
आधार न. XXXX 1296 2036
मो. न. -9450976498

लेखक अमरजीत रमेश

वि. शांति देवी

आवेदन सं०: 202300905010851

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10638 के पृष्ठ 101 से 136 तक
क्रमांक 8022 पर दिनाँक 28/07/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राधेश्याम ...प्रभारी.. .
उप निबंधक : सदर
अयोध्या
28/07/2023

कार्यालय उपरजिस्ट्रार सदर
अयोध्या
उत्तर प्रदेश

अनुसूची- 2

प्राप्त की गई विक्रय प्रतिफल की धनराशि का विवरण

क्रमांक	भूस्वामी/विक्रेता का नाम	विषयक भूमि में बिक्रीत क्षेत्रफल	विक्रय प्रतिफल की धनराशि (A)	लागू टीडीएस की धनराशि (B)	भुगतान की गयी धनराशि (A-B)	भुगतान संबंधी विवरण
1	संगम लाल यादव पुत्र श्री तिलकराम	0.0331 हे.	10,86,470/-	लागू नहीं है	5,43,235/-	UTR No.C79482280723182237 Drawee Bank: - HDFC BANK Date: - 28/07/23
					5,43,235/-	Cheque no.: 000109 Drawee Bank: HDFC BANK Date: 26.12.2023
2	अमरजीत यादव पुत्र श्री तिलकराम	0.0331 हे.	10,86,470/-	लागू नहीं है	39,500/-	UTR No. N052232339918395 Drawee Bank. HDFC BANK Date: 21.02.2023
					5,03,735/-	Cheque no.: 000052 Drawee Bank: HDFC BANK Date: 01.06.2023
					5,43,235/-	Cheque no.: 000070 Drawee Bank: HDFC BANK Date: 01.12.2023

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorized Signatory

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorized Signatory

(16)

पहचानकर्ता : 1

श्री मोहम्मद कलाम , पुत्र श्री मोहम्मद इस्लाम

निवासी: पवार हाउस के सामने निमैचा तहसील सोहावल जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री शिव पूजन यादव , पुत्र श्री राम छबीले यादव

निवासी: तिहुरा मांझा जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राधेश्याम ...प्रभारी... .
उप निबंधक : सदर
अयोध्या
28/07/2023

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

मस्तराम गुप्ता ...
निबंधक लिपिक अयोध्या
28/07/2023

प्रिंट करें

3	रमेश यादव पुत्र श्री तिलकराम	0.0331 हे.	10,86,470/-	लागू नहीं है	39,500/-	UTR No: -N052232339928210 Drawee Bank: HDFC BANK Date: 21.02.2023
					5,03,735/-	Cheque no: -000053 Drawee Bank: HDFC BANK Date: 01.06.2023
					5,43,235/-	Cheque no: -000071 Drawee Bank: HDFC BANK Date: 01.12.2023
4	शांति देवी पत्नी श्री तिलकराम	0.0331 हे.	10,86,470/-	लागू नहीं है	39,500/-	UTR No: -N052232339928148 Drawee Bank: -HDFC BANK Date: -21.02.2023
					5,03,735/-	Cheque no: -000054 Drawee Bank: HDFC BANK Date: 01.06.2023
					5,43,235/-	Cheque no: -000072 Drawee Bank: HDFC BANK Date: 01.12.2023

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorized Signatory

(17)

For HOABL Realtech Private Limited

Director / Authorized Signatory

आवेदन सं०: 202300905010851

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 8022 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री संगम लाल यादव, पुत्र श्री तिलकराम

निवासी: कुलफत का पुरवा तिहुरा मांझा दर्शननगर तहसील सदर जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य


विक्रेता: 2

श्री अमरजीत यादव, पुत्र श्री तिलकराम

निवासी: कुलफत का पुरवा तिहुरा मांझा दर्शननगर तहसील सदर जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य


विक्रेता: 3

श्री रमेश यादव, पुत्र श्री तिलकराम

निवासी: कुलफत का पुरवा तिहुरा मांझा दर्शननगर तहसील सदर जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य


विक्रेता: 4

श्रीमती शांति देवी, पत्नी श्री तिलकराम

निवासी: कुलफत का पुरवा तिहुरा मांझा दर्शननगर तहसील सदर जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य


क्रेता: 1

श्री एच ओ ए बी एल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रामनंदनम पांडेय , पुत्र श्री ओमप्रकाश पांडेय

निवासी: 17/ए/14 तक्षशिला एसएचजी सोसाइटी मुंबई महाराष्ट्र व प्लॉट संख्या 121 सहादतगंज अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी


ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

अनुसूची-1

200 मीटर की त्रिज्या के अर्न्तगत विकीत भूमि की स्थिति ग्राम तिहुरा मांझा परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद अयोध्या।

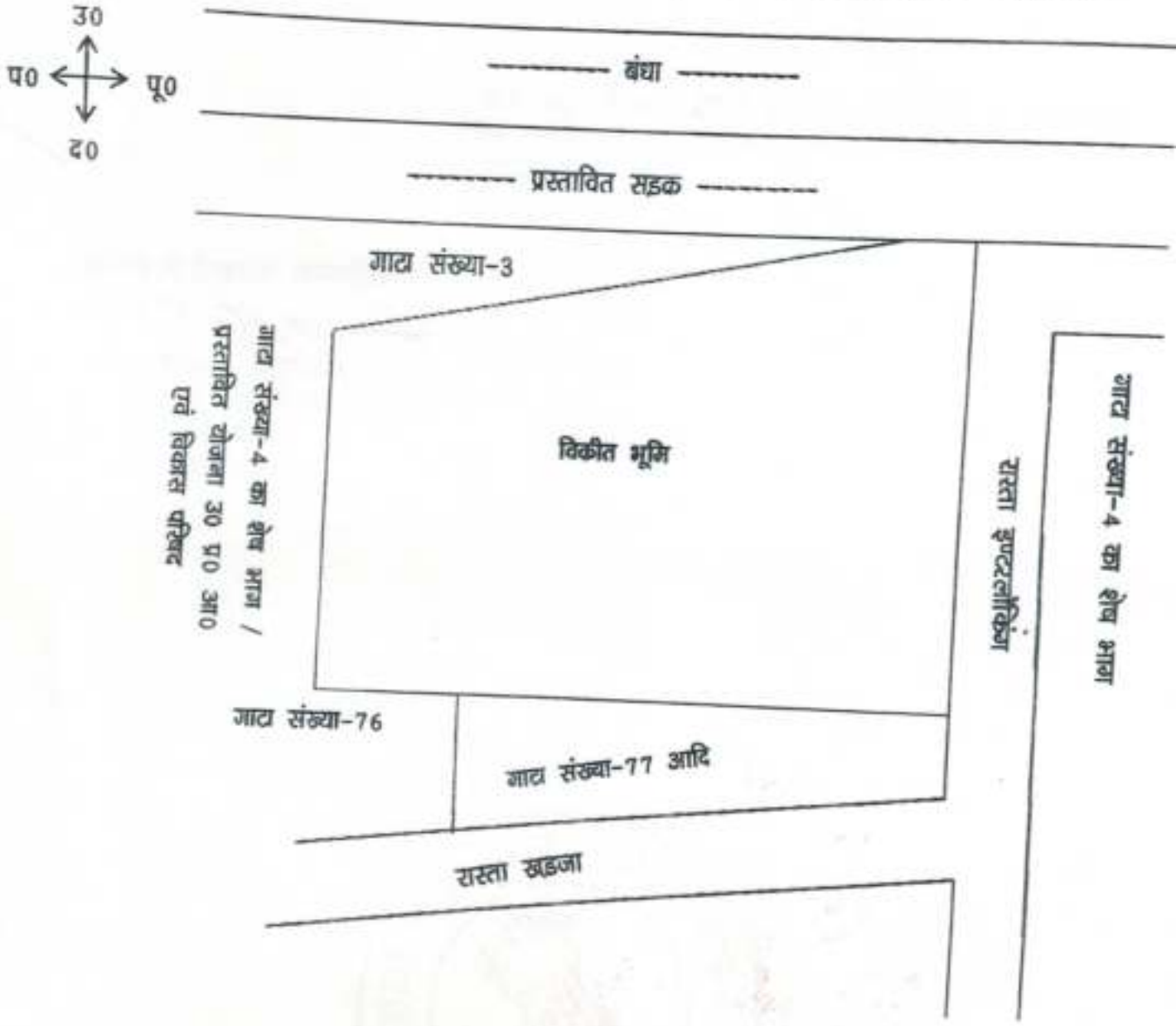

For HOABL Realtech Private Limited

Authorized Signatory

लेखक अमरजीत रसेरा

नि. शाहिदेवी

दिनांक 28/07/2023

दस्तावेज लेखक का नाम सुधाकर श्रीवास्तव

अनुज्ञप्ति सं0- 48/2019, दिनांक 31/03/2024

तक विद्यमान जिला और स्थान उपनिबन्धक

कार्यालय जिला अयोध्या ली गई फीस

दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर Sudhakar

आवेदन सं०: 202300905010851

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10638 के पृष्ठ 101 से 136 तक
क्रमांक 8022 पर दिनाँक 28/07/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राधेश्याम ...प्रभारी...
उप निबंधक : सदर
अयोध्या
28/07/2023

कार्यालय उपरजिस्ट्रार सदर जिला-अयोध्या
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश